राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2878 जयपुर, दिनांक 26/6/25

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : Counting of votes: counting of VVPAT slips in case of non-deletion of mock poll data from the Control Unit, non-removal of mock poll slips from VVPAT and mismatch between votes recorded in CU and Part-I of Form 17C-regarding.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 51/8/INST/2025-EMS दिनांक 24.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग के पत्र संख्या 51/8/INST/2021-EMS दिनांक 10 नवंबर, 2021 (जो आपको विभागीय पत्र क्रमांक 6198 दिनांक 16.11.2021 द्वारा तत्समय भिजवाया गया था) का संदर्भ लें, जिसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A के साथ धारा 64A के तहत, आयोग ने उन सभी मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था, जहां मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट (CU) से मिटाया नहीं गया है या मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों को हटाया नहीं गया है (पूरी तरह या आंशिक रूप से) या कंट्रोल यूनिट (CU) में डाले गए कुल वोट फॉर्म–17सी के भाग–I में उल्लिखित ईवीएम में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं:

(a) ऐसे मतदान केन्द्रों की संबंधित नियंत्रण इकाइयों (CU) का उपयोग मतों की गणना के लिए नहीं किया जाएगा।

(b) ऐसे मामले में केवल संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती की जाएगी, यदि जीत का अंतर ऐसे मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है।

(c) यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो ऐसे मतदान केन्द्रों पर डाले गए मतों को जोड़े बिना परिणाम घोषित किया जाएगा।

2. मतदान के दिन या पी+1 के दिन दस्तावेजों की जांच के दौरान या ईवीएम से मतों की राउंडवार गणना के दौरान निम्नलिखित मामले उत्पन्न हो सकते हैं:

(i) मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट (CU) से मिटाया नहीं जाता है, लेकिन मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों को हटा दिया जाता है;

(ii) न तो मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट (CU) से मिटाया जाता है और न ही मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों को हटाया जाता है;

(iii) गणना के दौरान कंट्रोल यूनिट (CU) में डाले गए कुल वोट, फॉर्म–17सी के भाग–I में उल्लिखित ईवीएम के अनुसार दर्ज किए गए कुल वोटों से मेल नहीं खाते हैं।

(iv) मॉक पोल का परिणाम कंट्रोल यूनिट (CU) से मिटा दिया जाता है, लेकिन मॉक पोल के वीवीपैट पेपर पर्चियों को नहीं हटाया जाता है।

ये संकेत हैं कि मॉक पोल के बाद क्लोज–रिजल्ट–क्लियर (CRC) प्रोटोकॉल सही ढंग से नहीं किया गया था या मॉक पोल के बाद वीवीपैट पर्चियां नहीं हटाई गई थी या मतदान समाप्ति के समय किसी विशेष मतदान केंद्र के संबंध में फॉर्म–17सी के भाग–I में उल्लिखित ईवीएम में दर्ज कुल मतों को नोट करने में मानवीय भूल हुई थी।

3. पत्र संख्या **51/8/INST/2021-EMS** दिनांक 10 नवंबर, 2021 के तहत जारी आयोग के निर्देशों के अधिक्रमण में और परिणामों की गिनती और सारणीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित मामलों के संबंध में, अब से, मतगणना के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A के साथ धारा 64A के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

पालन की जाने वाली प्रक्रिया:–

(a) पैरा 2(i) और 2(ii) के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों की सूची मतगणना शुरू होने से ठीक पहले और उसके बाद मतगणना के समय तथा पैरा 2(iii) के मामले में, मतगणना के दौरान, जैसा भी मामला हो, मतगणना हॉल में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ साझा की जाएगी।

(b) ऐसे सभी मामलों में, नियंत्रण इकाई (CU) को अलग रखा जाएगा, अर्थात इन मतदान केंद्रों को नियंत्रण इकाइयों (CU) की नियमित राउंड–वार गणना के दौरान गिनती के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसे मतदान केंद्रों को आवंटित टेबल को संबंधित राउंड की गणना के दौरान खाली रखा जाएगा।

(c) नियंत्रण इकाइयों (CU) के माध्यम से मतगणना के सभी नियमित राउंड पूरे होने के बाद, ऐसे सभी मतदान केन्द्रों की वीवीपैट पर्चियों की गणना, जिनकी नियंत्रण इकाइयां (CU) अलग रखी गई थीं, वीवीपैट गणना बूथ (VCB) पर की जाएगी।

(d) उपर्युक्त पैरा 2(i) में उल्लिखित मामले के संबंध में, उम्मीदवार–वार डाले गए मतों की सही गणना करने के लिए संबंधित मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी।

(e) उपर्युक्त पैरा 2(ii) में उल्लिखित मामले के संबंध में, संबंधित मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी और उम्मीदवार–वार डाले गए मतों की सही गणना करने के लिए मॉक पोल प्रमाण पत्र से उम्मीदवार–वार मतों को घटाया जाएगा।

(f) उपर्युक्त पैरा 2(iii) में उल्लिखित मामले के संबंध में, उपरोक्त 3(d) या 3(e) में उल्लिखित अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियां हटाई गई हैं या नहीं।

(g) उपरोक्त पैरा 2(iv) में उल्लिखित मामले के संबंध में, अभ्यर्थी–वार परिणाम नियंत्रण इकाई (CU) से पता लगाया जा सकता है।

(h) प्रत्येक मतदान केन्द्र की वीवीपैट पर्चियों की गणना से प्राप्त उम्मीदवार–वार मतों को मतगणना के एक अलग चरण के रूप में माना जाएगा। इन सभी मतदान केन्द्रों की वीवीपैट पर्चियों की गणना से प्राप्त उम्मीदवार–वार मतों को उम्मीदवार–वार गणना में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा।

4. यदि उम्मीदवार–वार डाले गए मतों की सही गणना करने में कोई कठिनाई हो तो मामले को आगे के निर्देशों के लिए आयोग को भेजा जाएगा।

5. चूंकि, पैरा 2(i) से 2(iii) में उल्लिखित उपरोक्त मामलों में, वोटों की गिनती के लिए कंट्रोल यूनिट (CU) को त्याग दिया जाएगा/इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए इन मतदान केंद्रों को वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती के अनिवार्य सत्यापन के लिए 05 मतदान केंद्रों के रेण्डम (random) यादृच्छिक चयन से बाहर रखा जाएगा। यदि पैरा 2(iv) में उल्लिखित मतदान केंद्र वीवीपैट पर्चियों की गिनती के अनिवार्य सत्यापन के दौरान चुना जाता है या मॉक पोल वीवीपैट पेपर पर्चियों को न हटाने के कारण सीयू की गणना (count) और वीवीपैट पर्चियों की गिनती के बीच बेमेल (mismatch) पाया जाता है, तो अनिवार्य सत्यापन के दौरान वोटों की गणना करने के लिए मॉक पोल सर्टिफिकेट में उल्लिखित उम्मीदवार–वार मॉक पोल डेटा को उम्मीदवार–वार घटाया जा सकता है।

6. ऐसे सभी मामलों में जहां मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट (CU) से मिटाया नहीं जाता है या मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर पर्चियों को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) नहीं हटाया जाता है या सीयू में डाले गए कुल वोट फॉर्म–17सी के भाग–I में उल्लिखित ईवीएम में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी–I के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

7. उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा मतगणना पर्यवेक्षकों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाएगा।

8. इसके अलावा, आयोग के पत्र संख्या 464/Counting Process/2023-EPS, दिनांक 19.07.2023 के पैरा 4 (vi) (h) और पैरा 7 (v) को इन निर्देशों में निर्धारित अनुसार उपरोक्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है।

अतः आयोग के उपरोक्त निर्देशों से आपके जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों को अवगत कराकर समस्त आगामी आम चुनावों/उपचुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2878 जयपुर, दिनांक 26/6/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, सांख्यिकी शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रिटर्निंग अधिकारी, 193-अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आगामी विधानसभा उप निर्वाचन, 2025 में पालनार्थ।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 51/8/INST/2025-EMS　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dated: 24th June, 2025

To

The Chief Electoral Officers
Of all the States and Union Territories.

Subject: **Counting of votes: counting of VVPAT slips in case of non-deletion of mock poll data from the Control Unit, non-removal of mock poll slips from VVPAT and mismatch between votes recorded in CU and Part-I of Form 17C -regarding.**

Madam/Sir,

Kindly refer to the Commission's letter No. 51/8/INST/2021-EMS, dated 10th November, 2021, in the subject matter, whereby under Section 64A read with Section 61A of the Representation of the People Act 1951, the Commission had directed to follow the following procedure, in all the cases where mock poll is either not erased from the Control Unit or VVPAT paper slips pertaining to mock poll not removed (fully or partially) or total votes polled in Control Unit does not match with the record of votes polled in EVM as mentioned in Part-I of Form-17C:

(a) The concerned Control Units of such polling stations shall not be used for counting of votes.

(b) In such case only counting of the respective VVPAT paper slips will be done, if the winning margin is equal to or less than total votes polled in such polling stations.

(c) If the winning margin is more than the total votes polled in all such polling stations, the result will be declared without adding the votes polled in such polling stations.

2. The following cases may arise on poll day or during scrutiny of documents on P+1 day or during the round-wise counting of votes from EVMs:

(i) Mock poll is not erased from the Control Unit but VVPAT paper slips pertaining to mock poll are removed;

(ii) Neither mock poll is erased from the Control Unit nor VVPAT paper slips pertaining to mock poll are removed;

(iii) Total votes polled in Control Unit during counting do not match with the total number of votes recorded as per EVM as mentioned in Part-I of Form-17C.

(iv) Mock Poll result is erased from Control Unit but mock poll VVPAT paper slips are not removed.

Rakesh Kumar

These are indication that the Close-Result-Clear (CRC) protocol after mock poll was not correctly done or VVPAT Slips are not removed after Mock Poll or there is human error in noting down the total votes recorded in the EVM as mentioned in Part-I of Form-17C, in respect of the particular polling station at the close of poll.

3. In supersession of the Commission's instructions issued vide letter no. 51/8/INST/2021-EMS, dated 10th November, 2021 and in order to further streamline the process of counting and tabulation of Results, the Commission has directed that in respect of cases mentioned at para (2) above, henceforth, the following procedure shall be followed under Section 64A read with Section 61A of the Representation of the People Act 1951, during counting of votes:

Procedure to be followed:-

(a) The list of all such polling stations covered under para 2(i) and 2(ii) above shall be shared with the contesting candidates in the counting hall just before the commencement of counting of votes and subsequent at the time of counting and in case of para 2 (iii), during counting of votes, as the case may be.

(b) In all such cases, the CU shall be kept aside i.e. these polling stations will not be taken up for counting during the regular round-wise counting of the Control Units. The Table allocated to such polling stations shall be kept vacant during the relevant round of counting.

(c) After the completion of all regular rounds of counting through Control Units, the VVPAT slips of all such polling station(s), whose Control Units were kept aside, shall be counted at VVPAT Counting Booth (VCB).

(d) In respect of case mentioned at para 2(i) above, the VVPAT slips of the respective polling station shall be counted to arrive at correct count of candidate wise votes polled.

(e) In respect of case mentioned at para 2(ii) above, the VVPAT slips of the respective polling station shall be counted and the candidate-wise votes from mock poll certificate shall be deducted to arrive at correct count of candidate wise votes polled.

(f) In respect of case mentioned at para 2(iii) above, the action may be taken as mentioned at 3(d) or 3(e) above, depending upon whether the VVPAT paper slips pertaining to mock poll are removed or not respectively.

(g) In respect of case mentioned at para 2(iv) above, candidate-wise result may be ascertained from the Control Unit.

(h) Candidate-wise votes obtained from VVPAT slips count of each such polling station shall be treated as a separate round of counting. Candidate-wise votes obtained from VVPAT slips count of all these polling stations shall be added to the candidate-wise tally and the final result compiled.

4. If there is any difficulty to arrive at correct count of candidate wise votes polled, the matter shall be referred to the Commission for further directions.

Rakesh Kumar

5. Since, in the aforesaid cases mentioned at para 2(i) to 2(iii), the Control Unit(s) will be discarded/not used for counting of votes, these polling stations shall be excluded from the random selection of 05 polling stations for Mandatory Verification of VVPAT paper slips count. If the polling station mentioned at para 2(iv) is selected during mandatory verification of VVPAT slips count or mismatch between CU Count and VVPAT slips count is noticed due to non-removal of mock poll VVPAT paper slips, the candidate-wise mock poll data mentioned in Mock Poll Certificate may be deducted candidate-wise to tally the votes during mandatory verification.

6. In all cases where mock poll is either not erased from the Control Unit or VVPAT paper slips pertaining to mock poll are not removed (fully or partially) or total votes polled in CU does not match with the record of votes polled in EVM as mentioned in Part-I of Form-17C, disciplinary action shall be taken against the Presiding Officer and Polling Officer-I of the polling station concerned.

7. The above instructions shall be strictly adhered to and brought to the notice of all concerned including the Counting Observers.

8. Further, para 4 (vi) (h) and para 7(v) of the Commission's letter no. 464/Counting Process/2023-EPS, dated 19.07.2023 stand replaced to the above effect as stipulated in these instructions.

Yours faithfully,

Rakesh Kumar
(RAKESH KUMAR)
UNDER SECRETARY

Copy to: All District Election Officers